

न्यायमूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर जे. के समक्ष

एम/एस एन्सल प्रॉपर्टीज़ एंड इन्फ्रैक्टक्चर लिमिटेड और अन्य - याचिकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल - उत्तरदाता

आपराधिक विविध संख्या 2007 का 51514

3 मई, 2012

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 48-ए, 51-ए - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 - वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 - धारा 2(ए)(बी), 3, 3(2)(एल) खंड(v), 15, 16, 17, 19, - पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र (अनियमित विकास का प्रतिबंध) अधिनियम, 1963 - हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 - संहिता आपराधिक प्रक्रिया 1973 - धारा 2 (एन), 202 से 204, 482 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - 33, 35 से 38 और 40 - केंद्र सरकार ने दिनांक 7.5.1992 को अधिसूचना जारी की और कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया - मंत्रालय पर्यावरण विभाग, भारत सरकार ने 29.11.1999 को एक और अधिसूचना जारी की और पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां सौंपी - अरावली अधिसूचना के अनुसरण में एक समिति द्वारा निरीक्षण किया गया - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धारा 15 के तहत धारा 15 के तहत शिकायत दर्ज की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के 19 - यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने 'गैर मुमकिन पहाड़' को नष्ट कर दिया था और इसे फार्म हाउस में बदल दिया था - विशेष पर्यावरण न्यायालय द्वारा सम्मन आदेश पारित किया गया था - याचिकाकर्ता ने इसे वर्तमान रद्दीकरण याचिका के माध्यम से चुनौती दी - याचिका खारिज कर दि गई और कहा गया कि साक्ष्य की सराहना से संबंधित प्रश्नों का निर्णय पक्षकारों के संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के बाद परीक्षण के दौरान ही किया जा सकता है।

निर्णीत, यहाँ जिस बात पर संभवतः विवाद नहीं किया जा सकता वह यह है कि मानव अस्तित्व के लिए प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के महत्व को समझते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के महत्व पर विचार करते हुए, अनुच्छेद 48-ए को भारत के संविधान में पेश किया गया था, जिसमें परिकल्पना की गई है कि " राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और अपने देश के जंगलों और वन्य जीवन जैसे की प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जंगल, झीलें, नदियाँ और वन्य जीवन शामिल हैं और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना और उनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा।

(पैरा 18)

आगे निर्णीत किया, अधिनियम 1986 के संकेतित प्रावधानों और प्रासंगिक नियमों के संयुक्त और सार्थक अध्ययन से पता चलता है कि जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है, वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा। इस धारा के अंतर्गत अधिनियम 1986 के प्रावधानों को पूरक करते हुए, 5 जुलाई 1992 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी5) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना उसमें दर्शाए गए तरीके से प्रक्रियाओं और संचालन को अंजाम दे रहा है और हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले और राजस्थान राज्य के अलवर जिले और दिखाए गए सभी क्षेत्रों के संबंध में इस अधिसूचना की तारीख तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्शाए गए सभी आरक्षित वनों, संरक्षित वनों या किसी अन्य क्षेत्र में गैरमुमुकिन पहाड़, गैरमुमुकिन बेहेंड, बंजड बीड या रुंध के रूप में, तो वह इस अधिनियम और अधिसूचना (अनुलग्नक पी 5) के प्रावधानों के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

(पैरा 27)

आगे निर्णीत किया, क्या प्रदूषण बोर्ड ने याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की हैं, क्या डेवलपर्स ने गैरमुमुकिन पर्वत (पहाड़) को ध्वस्त कर दिया है और इसे गैरमुमुकिन फार्म हाउस में बदल दिया है, अधिसूचना (अनुलग्नक पी 5) के प्रकाशन में बदलाव करें, क्या अधिकारियों के तहत 1963 और 1975 के अधिनियम, वन अधिनियम या अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण) ने वास्तव में किसी प्राधिकरण के तहत स्पष्टीकरण दिया है या अन्यथा 1986 के अधिनियम के तहत अपराध के कमीशन पर इली ऑयलियर अधिनियम के तहत ऐसी मंजूरी का क्या प्रभाव होगा, क्या विवादित क्षेत्र 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, अन्य सभी शर्तों ओआई अधिसूचना (अनुलग्नक पी 5) का उल्लंघन किया गया है या नहीं और साक्ष्य की सराहना से संबंधित अन्य सभी तर्क (अब उनकी ओर से आग्रह किए जाने की मांग की गई है), होंगे। विचारणीय बिंदु का निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान पक्षों के संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। यदि इन दस्तावेजों और अन्य संबंधित तथ्यों की स्वीकार्यता, वैधता और वास्तविकता या अन्यथा, जिनके निर्धारण के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है, धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिकाओं की आड़ में इस न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं, तो ट्रायल की पवित्रता धूमिल हो जाएगी। यह महत्वहीन है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विचाराधीन मुकदमे की वैधानिक प्रक्रिया को रद्द करने जैसा है, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

(पैरा 40)

आगे निर्णीत किया, इस गंभीर स्थिति का सामना करते हुए याचिकाकर्ताओं (बाद के प्रतिवादियों) के वकील ने (अनुसूची बी में उल्लिखित मामलों में) एक और कॉस्मेटिक सबमिशन उठाया कि अगर यह साबित हो जाता है कि डेवलपर्स ने प्रावधानों का उल्लंघन किया है और संकेतित

अपराध किए हैं, तब भी इस संबंध में बाद के विक्रेताओं/हस्तांतरणकर्ताओं पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे वास्तविक खरीदार हैं। शुरुआत में और पहली बार में यह तर्क कुछ हद तक आकर्षक लगा, लेकिन जब इसका कानूनी तौर पर और गहराई से विश्लेषण किया गया तो मैं यह देखने से खुद को नहीं रोक सका कि इसमें भी वही तर्क था।

(पैरा 42)

आगे निर्णीत किया, वैधानिक/कानूनी स्थिति होने के नाते इन प्रावधानों को पढ़ने से यह पता चलता है कि जहां किसी विशेष ज्ञान या किसी विशेष इरादे का तत्व किसी अपराध की संरचना में प्रवेश करता है तो सभी सह-अभियुक्त उसी अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह प्रदान करता है कि जहां कई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करने में शामिल होते हैं जो केवल आपराधिक ज्ञान के साथ किया जाने के कारण आपराधिक है और जो कोई भी ऐसे अपराध के कमीशन में सहायता करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह के ज्ञान के साथ कार्य में शामिल होता है, इसके लिए उत्तरदायी है कार्य उसी प्रकार से करें जैसे कि कार्य उस ज्ञान के साथ अकेले ही किया गया हो। उस स्थिति में आपराधिक कानून केवल अपराध के परिणाम से संबंधित है, न कि उन साधनों से जिनके द्वारा इसे हासिल किया गया है और जो कोई भी ऐसे अपराध के संचयी परिणाम में सहयोग करता है, वह इस प्रासंगिक संबंध में समान रूप से उत्तरदायी है।

(पैरा 44)

आगे निर्णीत किया, इतना ही नहीं, सीआरपीसी की धारा 202 से 204 में कहा गया है कि समन जारी करने के चरण में मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" है या नहीं। मजिस्ट्रेट को साक्ष्यों को उतनी सावधानी से नहीं तौलना चाहिए जितना उसे मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान करना होता है। सबूतों की जांच में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाए जाने वाले मानक वही नहीं हैं जिन्हें आरोप तय करने के चरण में ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह मामला अब कोई ठोस मामला नहीं रह गया है और अब अच्छी तरह से सुलझ चुका है।

(पैरा 47)

आर एस राड़, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ गौतम दत्त अधिवक्ता, ए एस चढ़ा अधिवक्ता, अक्साय भान अधिवक्ता, संजीव मँड़ाई अधिवक्ता, जयश्री ठाकुर अधिवक्ता, सी एस राणा अधिवक्ता, सुमित गोयल अधिवक्ता, संजीव खन्ना अधिवक्ता, जैविर यादव अधिवक्ता, रवींद्र कुमार राणा अधिवक्ता, एस के गर्ग नड़वाना अधिवक्ता, सुनीश बिंडलेश अधिवक्ता, विक्रम चौधरी अधिवक्ता, संदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता, पंकज कटिए अधिवक्ता, अजय नारा अधिवक्ता, अनिल मलिक अधिवक्ता, राजीव कटारिया अधिवक्ता, एस के पाँवर अधिवक्ता, दीपक बाल्यन अधिवक्ता, नीलेश भारद्वाज अधिवक्ता, कपिल शर्मा अधिवक्ता, संजय विज अधिवक्ता, संजीव पब्बी अधिवक्ता - याचिकर्ता के लिये

एच एस हूडा, महाधिवक्ता हरियाणा, और उनके साथ अरुण वालिया अधिवक्ता - उत्तरदाताओं के लिये

**महिंदर सिंह सुल्लर, जे.**

1. चूंकि कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए मैं अनुसूची ए में दर्शाए गए याचिकाकर्ता-अभियुक्तों (डेवलपर्स) के सभी मामलों और अनुसूची बी (इसके साथ संलग्न) में उल्लिखित बाद के विक्रेताओं/हस्तांतरणियों के सभी मामलों को इस सामान्य के आधार पर तय करने का प्रस्ताव करता हूं। पुनरावृत्ति से बचने के लिए निर्णय. हालाँकि, प्रासंगिक तथ्य और सामग्री जिन्हें मुख्य याचिकाओं में शामिल मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, मुख्य याचिकाओं (1) 2007 के सीआरएम नंबर एम -51514, जिसका शीर्षक "मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर" है, से लिया गया है। लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" अनुसूची 'ए' और (2) 2010 का सीआरएम नंबर एम-880 जिसका शीर्षक अनुसूची 'बी' का "अरविंदर एस बराड़ा बनाम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" है, जो इस संदर्भ में त्वरित संदर्भ के लिए इस निर्णय के अगले भाग में संदर्भित किया जाएगा।
2. समग्र मानवता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पर्यावरणीय अनुशासनहीनता के पतन की गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) ने 5 से 16 जून, 1972 तक स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। भारत के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भी भाग लिया। अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मेलन में अपनाई गई उद्घोषणा/संकल्प का सार इस प्रकार है:-

*"1. मनुष्य अपने पर्यावरण का प्राणी और निर्माता दोनों है जो उसे भौतिक भरण-पोषण देता है और उसे बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है। इस ग्रह पर मानव जाति के लंबे और कठिन विकास में एक ऐसा चरण आ गया है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र त्वरण के माध्यम से मनुष्य ने अपने पर्यावरण को अनगिनत तरीकों से और अभूतपूर्व पैमाने पर बदलने की शक्ति हासिल कर ली है। मनुष्य के पर्यावरण के दोनों पहलू, प्राकृतिक और मानव निर्मित, उसकी भलाई और बुनियादी मानवाधिकारों के आनंद के लिए आवश्यक हैं - यहां तक कि जीवन का अधिकार भी।*

2. मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एक प्रमुख मुद्दा है जो दुनिया भर में लोगों की भलाई और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, यह पूरी दुनिया के लोगों और सभी सरकारों की तत्काल इच्छा है।

3. मनुष्य को लगातार अनुभव को सारांशित करना होता है और खोज, आविष्कार, निर्माण और आगे बढ़ना होता है। हमारे समय में मनुष्य की अपने परिवेश को बदलने की क्षमता, यदि बुद्धिमानी से उपयोग की जाए तो सभी लोगों को विकास के लाभ और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। गलत तरीके से या लापरवाही से उपयोग किया गया वही शक्ति मनुष्य और मानव पर्यावरण को अनगिनत नुकसान पहुंचा सकती है। हम अपने चारों ओर पृथ्वी के कई क्षेत्रों में मानव निर्मित नुकसान के बढ़ते प्रमाण देखते हैं; जल, वायु, पृथ्वी और जीवित प्राणियों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर; जीवमंडल के पारिस्थितिक संतुलन में प्रमुख और अवांछनीय गड़बड़ी; अपूरणीय संसाधनों का विनाश और कमी; और मानव निर्मित वातावरण में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोर कमियाँ; विशेष रूप से रहने और काम करने के माहौल में।

इतिहास में एक ऐसा बिंदु आ गया है जब हमें पर्यावरणीय परिणामों की अधिक विवेकपूर्ण देखभाल के साथ दुनिया भर में अपने कार्यों को आकार देना होगा। अज्ञानता या उदासीनता के माध्यम से हम सांसारिक पर्यावरण को बड़े पैमाने पर और अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा सकते हैं जिस पर हमारा जीवन और कल्याण निर्भर करता है। इसके विपरीत, पूर्ण ज्ञान और विवेकपूर्ण कार्रवाई के माध्यम से हम अपने और अपनी भावी पीढ़ी के लिए मानवीय आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप वातावरण में बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि और अच्छे जीवन के निर्माण के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है एक उत्साही लेकिन शांत मन की स्थिति और इरादा लेकिन व्यवस्थित कार्य। प्रकृति की दुनिया में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से मनुष्य को प्रकृति के सहयोग से एक बेहतर वातावरण बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना मानव जाति के लिए एक अनिवार्य लक्ष्य बन गया है, जिसे शांति और विश्वव्यापी आर्थिक और सामाजिक विकास के स्थापित और मौलिक लक्ष्यों के साथ मिलकर और सामंजस्य बिठाकर अपनाया जाना चाहिए।

इस पर्यावरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों और समुदायों तथा

उद्यमों और संस्थानों द्वारा हर स्तर पर जिम्मेदारी स्वीकार करने की आवश्यकता होगी, सभी समान प्रयासों में समान रूप से साझा करेंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति और कई क्षेत्रों के संगठन, अपने मूल्यों और अपने कार्यों के योग से, भविष्य के विश्व पर्यावरण को आकार देंगे। स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यावरण नीति और कार्रवाई के लिए सबसे बड़ा बोझ उठाएंगी। इस क्षेत्र में विकासशील देशों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में सहायता के लिए संसाधन जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। पर्यावरणीय समस्याओं का एक बढ़ता हुआ वर्ग, क्योंकि वे क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर हैं या क्योंकि वे आम अंतरराष्ट्रीय दायरे को प्रभावित करते हैं, उन्हें राष्ट्रों के बीच व्यापक सहयोग और आम हित में अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता होगी। सम्मेलन सभी लोगों और उनकी भावी पीढ़ी के लाभ के लिए, मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए साझा प्रयास करने के लिए सरकारों और लोगों से आह्वान करता है।”

3. इसी क्रम में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को स्वच्छ रहो और हरा-भरा पृथ्वी (मातृ) दिवस मनाने का कार्य इस दिशा में एक और कदम है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, संसद ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 48-ए और 51-ए को संशोधित और पेश किया है। इसी तरह, इसने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (संक्षिप्तता के लिए "1974 का अधिनियम") अधिनियमित किया; वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (संक्षेप में "1981 का अधिनियम"), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत नियम बनाए गए (इसके बाद इसे "1986 का अधिनियम और संबंधित नियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।
4. वर्तमान याचिकाओं के निपटान के लिए प्रासंगिक शुरुआत में और रिकॉर्ड से निकलने वाले तथ्यों का मैट्रिक्स यह है कि शिकायतकर्ता-हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिवादी (संक्षेप में "शिकायतकर्ता-प्रदूषण बोर्ड") ने शिकायत में दावा किया है (अनुलग्नक पी20) कि केंद्र सरकार ने 7 मई 1992 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी5) जारी की है और उसमें बताए अनुसार गतिविधियों/संचालन/प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 29 नवंबर 1999 को एक और अधिसूचना जारी की (अनुलग्नक पीएल 1), जिसके माध्यम से पर्यावरण मंजूरी देने की शक्तियां राज्य सरकार को सौंप दी गईं। अरावली अधिसूचना जारी करते समय सभी प्रकार के निर्देशों, प्रतिबंधों, प्रतिबंधों और निषेधों को आम जनता की जानकारी के लिए विधिवत प्रकाशित किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी निषिद्ध गतिविधियों में शामिल न हो सके, जिसके लिए उक्त अधिसूचना के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अरावली अधिसूचना के मद्देनजर एक निरीक्षण समिति का गठन किया

गया था और समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार यह पता चला कि मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसकी सहयोगी कंपनी और अधिकारियों (डेवलपर्स) (याचिकाकर्ता-अनुसूची ए में आरोपी) ने एक पूर्ण विकसित किया है। गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) को ध्वस्त करने के बाद लगभग 1200 एकड़ भूमि के कुल क्षेत्रफल के साथ 'अरावली रिट्रीट' के नाम और शैली में टाउनशिप, गांव रायसीना जिला गुड़गांव की राजस्व संपत्ति के भीतर स्थित है। उन्होंने गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है, 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए अलग-अलग फार्म हाउस बनाए और बाद के प्रतिशोधी-अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को अनुसूची बी में उल्लिखित आसानी से बेच दिया। यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ताओं-आरोपी द्वारा 7 मई 1992 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी5) के प्रारंभ होने के बाद ऐसा किया गया था। नतीजतन, कारण बताओ नोटिस दिनांक 15 मार्च 2006 (अनुलग्नक पी 15) और 15 जून 2007 (अनुलग्नक पी 18) जारी किए गए, जिसके जवाब में उन्होंने 28 मार्च 2006 (अनुलग्नक पी 16) और 7 जुलाई 2007 (अनुलग्नक पी 9) को गलत बताते हुए जवाब, अधिसूचना शुरू होने से पहले फार्म हाउसों के निर्माण की दलील (अनुलग्नक पी5) देते हुए दाखिल किया।

5. तरह-तरह के आरोप लगाते हुए और सभी घटनाओं के क्रम को विस्तार से बताते हुए, प्रदूषण बोर्ड के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित भूमि को गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) के रूप में वर्णित किया गया था। पंजाब भूमि प्रस्तुतीकरण अधिनियम, 1900 के प्रावधान विवादित भूमि के आरक्षित वन पर लागू थे। याचिकाकर्ता-अभियुक्तों (अनुसूची ए में उल्लिखित मामलों में) ने गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और इसे अरावली अधिसूचना का पूर्ण उल्लंघन करते हुए फार्म हाउस में बदल दिया है और याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को अवैध रूप से आवंटित किया है (अनुसूची बी में इंगित मामलों में)। इस प्रकार, उन्होंने अरावली पहाड़ियों को अपमानित किया है, उनकी नाजुक पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाया है, अधिसूचना (अनुलग्नक पी 5) के शुरू होने के बाद, अनुपालन नहीं किया, 1986 के अधिनियम, अरावली अधिसूचना के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया और खुद को इस प्रासंगिक मामले में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी बनाया। दिशा। इन आरोपों की पृष्ठभूमि में, टायर शिकायतकर्ता-प्रदूषण बोर्ड ने सभी याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ ऊपर बताए गए तरीके से 1986 के अधिनियम की धारा 19 के साथ पढ़ी गई धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए शिकायत (अनुलग्नक पी20) दर्ज की।
6. शिकायत का संज्ञान लेते हुए और प्रारंभिक साक्ष्यों पर विचार करते हुए, पीठासीन अधिकारी, विशेष पर्यावरण परीक्षण न्यायालय ने याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को दिनांक 14.8.2007 के सम्मन आदेश के आधार पर विचाराधीन अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया (अनुलग्नक पी 22)

7. सभी मामलों में, विशेष/ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होने के बजाय, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों ने सीधे ही विवादित शिकायतों को रद्द करने, आदेशों को तलब करने और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य बाद की कार्यवाही को खत्म करने के लिए धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनी-अपनी याचिकाएं दायर कीं। 482 सीआरपीसी ने इस न्यायालय को भूसे के बंडलों से अनाज इकट्ठा करने और दो बार सोचने के लिए छोड़ दिया कि किस हद तक, तत्काल याचिकाओं में उठाए गए विवाद के संबंध में निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वही होगा ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दों पर सीधा असर। जो भी हो, लेकिन न्याय के हित में, इन याचिकाओं पर निर्णय लेते समय 'सुरक्षा से बचाव' के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। इसी तरह में इस मामले से जुड़ा हुआ हूं।
8. जहां तक प्रासंगिक है, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत मामला संक्षेप में यह था कि पीएलपी अधिनियम हरियाणा राज्य पर लागू होता है, जिसमें मुकदमेबाजी में भूमि भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य ने इसे विकसित किया है। 1988-89 के आसपास लगभग 1200 एकड़ के क्षेत्र को पंजाब अनुसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्रों (अनियमित विकास पर प्रतिबंध) के प्रावधानों के तहत मंजूरी प्राप्त करने के बाद गांव रायसीना, जिला गुड़गांव की गैर-कृषि योग्य भूमि (बंजर कदीम) को खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया। अधिनियम, 1963 और हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम 1975, पत्र दिनांक 29.1.1990 (अनुलग्नक पी2) के माध्यम से और अनुबंध आवंटन दस्तावेज के माध्यम से फार्म हाउस बेच दिए हैं, जिसका नमूना अनुलग्नक 1 बी के रूप में संलग्न है। विकास कार्यों की सूची और स्थिति डेवलपर्स द्वारा निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा को दिनांक 14.5.1991 (अनुलग्नक पी4), 29.6.1993 (अनुलग्नक पी9) और (अनुलग्नक पी19ए- पी19सी) के माध्यम से भेजी गई बताई गई है। यह आरोप लगाया गया था कि विचाराधीन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी खसरा गिरदावरी (अनुलग्नक पी6/टी कोली) और अक्ष-सिजरा (अनुलग्नक पी21) में गैरमुमकिन फार्म हाउस के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, अधिसूचना के प्रावधान (अनुलग्नक) पी5) लागू नहीं हैं। निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने दिनांक 15.4.1998 (अनुलग्नक पीआईओ) के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को नमूना समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार विभाग से अनुमति लेने के लिए सूचित किया। 18.5.2000 (अनुलग्नक पी12)। राज्य सरकार ने 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक कानूनी/वैध समिति का गठन नहीं किया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी 15 और पी 18) जारी किया था, जिस पर उसने मामला दायर किया था। उत्तर (अनुलग्नक पी16 और पी19), यह आरोप लगाते हुए कि उसने जानबूझकर टायर के लिए आवेदन किए बिना और पूर्व आवश्यक मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना क्षेत्र का विकास किया था।



9. याचिकाकर्ता-अभियुक्तों का मामला आगे बढ़ता है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भूखंड मालिकों को सूचित किया कि यदि भूखंड एक फार्म हाउस है, तो अधिसूचना (अनुलग्नक पी 5) पत्र दिनांक 1.11.2006 (अनुलग्नक पी17) के आधार पर लागू नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों ने प्रत्युत्तर में दलील दी कि अधिसूचना दिनांक 10.11.1980 (अनुलग्नक पी 24), साइट योजना (अनुलग्नक पी 25), जिला राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2006 (अनुलग्नक पी 27) के अनुसार, मेमो नं. 756 दिनांक 2.4.2010 (अनुलग्नक पी 28), तहसीलदार का पत्र दिनांक 29.1.2009 (अनुलग्नक पी 29) प्रदूषण बोर्ड और रिपोर्ट दिनांक 4.1.2011 (अनुलग्नक पी 30), आयुक्त, गुड़गांव मंडल, गुड़गांव की, डेवलपर्स ने पहले ही फार्म काट लिया है अन्य सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद। इस प्रकार, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1963 और 1975 के अधिनियमों के तहत मंजूरी प्राप्त करने के बाद पहले ही विकास कार्य पूरा कर लिया है और चूंकि विवाद में भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन फार्म हाउस के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए, अधिसूचना के प्रावधान (अनुलग्नक पी5) उनके मामले पर लागू नहीं होते थे। कहा गया था कि प्रदूषण बोर्ड ने उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की हैं क्योंकि उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है। उपरोक्त आधारों के आधार पर, सभी टायर याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने यहां पहले बताए गए तरीके से विवादित शिकायतों, समन आदेशों और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की।
10. शिकायतकर्ता-प्रदूषण बोर्ड ने याचिकाकर्ता-अभियुक्तों की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और डॉ. सी.वी. सिंह, वैज्ञानिक, इसके क्षेत्रीय अधिकारी के हलफनामे के माध्यम से जवाब दाखिल किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ याचिका की स्थिरता, कार्रवाई के कारण की कुछ प्रारंभिक आपत्तियां शामिल थीं। , आवश्यक पक्षों के रूप में केंद्र/राज्य सरकारों और वन विभाग और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड आदि का अधिकार क्षेत्र और गैर-जुड़ावकर्ता। इसने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (अनुलग्नक आर 1) पर भरोसा किया है। 1985 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677 में आईए संख्या 1901 और 1888। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रासंगिक निर्णय कार्यान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजे गए थे, वीआईडीसी पत्र दिनांक 23.5.2008 (अनुलग्नक आर 2)) 1986 के अधिनियम के तहत गठित उप-समिति ने याचिकाकर्ता-अभियुक्तों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का प्रदर्शन करते हुए रिपोर्ट (अनुलग्नक आर 3) प्रस्तुत की। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 4.12.2006 (अनुलग्नक आर 4) और तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 7.9.2005 (अनुलग्नक आर 5) के अनुसार, मुकदमे में भूमि गैरमुमकिन पर्वत के रूप में दर्ज की गई थी। प्रदूषण बोर्ड के अनुसार, जैसे ही गुड़गांव के कलेक्टर को सूचना मिली कि तत्कालीन हल्का पटवारी ने अवैध रूप से राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर खसरा गिरदावरी में गैरमुमकिन पहाड़ की वास्तविक स्थिति के बजाय जमीन को गैरमुमकिन फार्म हाउस के रूप में दर्ज कर दिया है। उन्होंने आदेश दिनांक 23/02/2006 (अनुलग्नक आर 6) के माध्यम से

सभी सर्कल राजस्व अधिकारियों को अरावली पर्वत की खसरा गिरदावरी में गैरमुमकिन पर्वत के रूप में प्रविष्टियों को सही करने का निर्देश दिया। नतीजतन, रिकॉर्ड को तदनुसार सही किया गया।

11. प्रदूषण बोर्ड के अनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों ने अधिसूचना (अनुलग्नक पी 5) के शुरू होने के बाद भूमि की प्रकृति बदल दी है, 1986 के अधिनियम की धारा 15 और 19 के तहत संकेतित अपराध किए हैं और विवादित को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। शिकायतें, समन आदेश और उसके बाद उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाहियों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत व्यापक बनाया गया है। उत्तर की संपूर्ण सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने के बजाय और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि शिकायतकर्ता-प्रदूषण बोर्ड ने अपनी शिकायत में निहित सभी आरोपों को दोहराया है। हालाँकि, यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसने मुख्य याचिकाओं में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और उन्हें खारिज करने की प्रार्थना की है।
12. विवादित शिकायतों और तलब आदेशों पर हमला करते हुए और अपनी सामान्य क्षमता का लाभ उठाते हुए, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों (अनुसूची-ए में उल्लिखित मामलों में) के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने कुछ हद तक दृढ़ता से तर्क दिया है कि यह रिकॉर्ड पर साबित हुआ है कि याचिकाकर्ता- अभियुक्तों (डेवलपर्स) ने दिनांक 29.1.1990 (अनुलग्नक पी2), 5.4.1991 (अनुलग्नक पी3), 29.6.1993 (अनुलग्नक) की मंजूरी प्राप्त करने के बाद पहले ही विवादित भूमि की प्रकृति को गैमियमकिन पर्वत (पहाड़) से गैमियमकिन फार्म हाउस में बदल दिया है। पी9), 15.4.1998 (अनुलग्नक पी10) और 9.2.2001 (अनुलग्नक पी12-ए), दिनांक 25.10.1989 (अनुलग्नक पीआई) जे 4.5.1991 (अनुलग्नक पी4), 11.5.1993 (अनुलग्नक पी7) और आवेदनों के अनुसरण में 7.6.1993 (अनुलग्नक पी.एस.) और अधिसूचना दिनांक 7.5.1992 (अनुलग्नक पी.5) के प्रारंभ होने से बहुत पहले राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी खसरा गिरदावरी (.अनुलग्नक पी6/टीकोली) और अक्ष-सिजरा (अनुलग्नक पी21) में इसका वर्णन किया गया था। ) इसलिए, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने कोई अपराध नहीं किया है।
13. इसी तरह, शेष याचिकाकर्ताओं-आरोपी बाद के प्रतिवादियों/स्थानांतरितियों (अनुसूची बी में दर्शाया गया है) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी डेवलपर्स की ओर से प्रस्तुत तर्कों की वही पंक्ति अपनाई है। हालाँकि, इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि तर्कों के लिए यह मानते हुए कि डेवलपर्स ने प्रावधानों का उल्लंघन किया है और विचाराधीन अपराध किए हैं, फिर भी, बाद के विक्रेताओं/हस्तांतरणकर्ताओं पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे वास्तविक खरीदार हैं। इसलिए, उन्होंने विवादित शिकायतों को रद्द करने और इस प्रासंगिक दिशा में आदेश जारी करने की मांग की है।
14. विवादित शिकायतों और तलब आदेशों की सराहना करते हुए, इसके विपरीत, शिकायतकर्ता-प्रदूषण बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया है कि सभी याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने तथ्यों के विवादित प्रश्न उठाए हैं और कुछ पत्रों की प्रतियों

पर भरोसा किया है, जिनके बारे में कहा जाता है तहसीलदार, निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अन्य अप्रासंगिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं, जिनके लिए कानूनी प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए, प्रारंभिक चरण में ऐसे अप्रमाणित पत्रों के आधार पर विवादित शिकायतों और समन आदेशों को रद्द नहीं किया जा सकता है। सभी तरह के तर्क उठाते हुए, प्रदूषण बोर्ड ने दावा किया कि चूंकि सभी याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने संकेतित अपराध किए हैं, इसलिए, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा विवादित शिकायतों को रद्द करने और आदेशों को तलब करने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए, उन्होंने याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना की।

15. पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी देर तक सुनने के बाद, रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री और उनकी बहुमूल्य सहायता से कानूनी स्थिति का अध्ययन करने के बाद और पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार से, तत्काल याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है इस संदर्भ में।

16. सबसे पहले, यहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौधरी के मामले में एक प्रसिद्ध फैसले में आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया है। भजन लाल और अन्य एआईआर 1992 सुप्रीम कोर्ट 604, जिसे सोम मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार 2008 (2) आरसीआर (आपराधिक) 92 के मामले में फिर से दोहराया गया था, कि आपराधिक मुकदमा केवल प्रारंभिक चरण में दुर्लभतम मामले में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ही रद्द किया जा सकता है:-

“जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराता है, सिवाय मजिस्ट्रेट के आदेश के संहिता की धारा 155(2) दायरे में आने के।

जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत माना गया है।

जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां संहिता में कोई विशिष्ट प्रावधान है या संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

17. इतना ही नहीं, फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेफ़री जे डियरमीयर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, 2010(3) आरसीआर(सीआरएल) 183 के मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के दायरे की व्याख्या करते हुए फैसला सुनाया है (पैरा 16) अंतर्गत:

“इसलिए पार्टियों की ओर से पेश किए गए तर्कों को संबोधित करते हुए, संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के दायरे और दायरे पर ध्यान देना उपयोगी होगा। धारा स्वयं तीन परिस्थितियों की परिकल्पना करती है जिसके तहत (उसे अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) संहिता के तहत एक आदेश को प्रभावी करने के लिए; (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; और (हाय) अन्यथा सुरक्षित करने के लिए न्याय के अंत। फिर भी, किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करेगा। निस्संदेह, उक्त प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय के पास मौजूद शक्ति बहुत व्यापक है लेकिन असीमित नहीं है . वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए पूर्व डेबिटो जस्टिटिया का प्रयोग सावधानी से, सावधानी से और सावधानी से किया जाना चाहिए, जिसके लिए ही न्यायालय मौजूद है। इस बात पर थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है कि अंतर्निहित क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को उसके अनुसार कार्य करने की मनमानी शक्ति प्रदान नहीं करता है। सनक या सनक। शक्ति अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए मौजूद है न कि अन्याय पैदा करने के लिए।

18. यहाँ जिस बात पर संभवतः विवाद नहीं किया जा सकता वह यह है कि मानव अस्तित्व के लिए प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के महत्व को समझते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 48-ए को

भारत के संविधान में पेश किया गया था, जिसमें परिकल्पना की गई है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" इसी तरह, अनुच्छेद 51-ए (जी) आगे कहता है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।

19. क्रमिक रूप से, संसद ने 1974, 1981 और 1986 के अधिनियम पारित किए हैं। 1986 का अधिनियम 19.11.1986 से पूरे भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति प्रदान करती है जो वह आवश्यक या समीचीन समझती है। पर्यावरण में जल, वायु और भूमि और जल, वायु और भूमि तथा मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर्संबंध शामिल हैं। धारा 3(2)(iv) केंद्र सरकार को विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या उत्सर्जन के मानक निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है। किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार धारा 5 के तहत, उस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों के प्रदर्शन में किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में निर्देश जारी कर सकती है। और ऐसा प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। उक्त धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी भी उद्योग को बंद करने, निषेध या विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति शामिल है; किसी अन्य प्रेषक की बिजली या पानी की आपूर्ति का संचालन या प्रक्रिया या रोक या विनियमन। धारा 9 प्रत्येक व्यक्ति पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए कदम उठाने का कर्तव्य लगाती है। धारा 15 में दंड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में प्रासंगिक नियम भी बनाए हैं। (20) इतना ही नहीं, प्रासंगिक नियमों के नियम 5 के साथ पठित 1986 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की उपधारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 7.5.1992 (अनुलग्नक पी-5) की एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें संलग्न तालिका में निर्दिष्ट क्षेत्रों में, उसकी पूर्व अनुमति के अलावा, निम्नलिखित प्रक्रियाओं और संचालन पर रोक लगा दी गई है: -

- (i) विस्तार आधुनिकीकरण सहित किसी भी नए उद्योग का स्थान;
- (ii) (1.) खनन पट्टों के नवीनीकरण सहित सभी नए खनन कार्य,

(2.) अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों और प्रोजेक्ट टाइगर और/या के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मौजूदा खनन पट्टे

(3.) बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के खनन किया जा रहा है।

(iii.) पेड़ों की कटाई;

(iv) आवास इकाइयों, फार्म हाउसों, शेडों, सामुदायिक केंद्रों, सूचना केंद्रों के किसी भी समूह का निर्माण और ऐसे निर्माण से जुड़ी किसी भी अन्य गतिविधि (सड़कों सहित, जो इससे संबंधित किसी भी बुनियादी ढांचे का हिस्सा है);

(v) विद्युतीकरण (नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना)।

(21) अधिसूचना की तालिका (अनुलग्नक पी-5) के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रक्रिया और किसी भी प्रकार के संचालन को बिना दंड के करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है: -

(i) हरियाणा के गुड़गांव जिले और राजस्थान राज्य के अलवर जिले के संबंध में इस अधिसूचना की तारीख तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड में वन के रूप में दिखाए गए सभी आरक्षित वन, संरक्षित वन या कोई अन्य क्षेत्र,

(ii) जिन क्षेत्रों को इस प्रकार दर्शाया गया है:

(a) गैर मानिकिन पहाड़, या

(b) गैर मुमकिन रदा, या

(c) गैर मुमकिन बीहड़, या

(d) बंजड बीड, या

(e) रूंध

हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले और राजस्थान राज्य के अलवर जिले के संबंध में इस अधिसूचना की तारीख तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड में।

(iii) अधिसूचना की तारीख तक गुड़गांव जिले में हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1919 की धारा 4 & 5 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल सभी क्षेत्र।

(iv) सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का अभयारण्य के सभी क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 51) के तहत अधिसूचित हैं।

इसी प्रकार निम्नलिखित क्षेत्र की कृषि भूमि में अन्य निर्दिष्ट गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित हैं:-

(a) (i) क्षेत्र की स्थलाकृति जो ढाल, पहलू और दृष्टिकोण को दर्शाती है।

(ii) प्रस्तावित भूमि का कटाव वर्गीकरण।

(b) 10 किमी के भीतर मौजूद प्रदूषण स्रोत।

(c) निकटतम राष्ट्रीय पाक/अभयारण्य/बायोस्फीयर रिजर्व/स्मारक/विरासत स्थल/रिजर्व वन की दूरी;

(d) खदानों/उधार क्षेत्रों के लिए पुनर्वास योजना;

(e) हरित पट्टी योजना।

(f) प्रतिपूरक वनरोपण योजना।

(22) इस प्रकार वैधानिक कानूनी स्थिति और रिकॉर्ड पर सामग्री होने के कारण, अब छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण हैं, इन मामलों में निर्धारण के लिए उठते हैं, कि क्या सभी याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों ने निर्दिष्ट अपराध किए हैं और क्या आक्षेपित शिकायतों के माध्यम से मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं?

(23) पार्टियों के विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, इस संबंध में उत्तर स्पष्ट रूप से सकारात्मक होना चाहिए।

(24) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, कि प्रदूषण बोर्ड ने 1986 के अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सभी याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया है, जिसके अनुसार "जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियम या जारी किए गए आदेश या निर्देश, किसी का अनुपालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है, ऐसी प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के संबंध में, कारावास से, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडनीय होगा और यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना, जो हर दिन के लिए पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान ऐसी पहली विफलता या उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ऐसी विफलता या उल्लंघन जारी रहता है। यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद आगे भी जारी रहता है, अपराधी को कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 16 और 17 कंपनियों और सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित हैं। उक्त अधिनियम की धारा 2 (ए) परिभाषित करती है कि 'पर्यावरण' में जल, वायु और भूमि शामिल हैं और जल, वायु और भूमि और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के बीच अंतर-संबंध मौजूद हैं। जीव और संपत्ति धारा 2(बी) में परिकल्पना की गई है कि "पर्यावरण प्रदूषक" का अर्थ है कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो इतनी सांद्रता में मौजूद हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। धारा 2(सी) में प्रावधान है कि "पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति है।

(25) माना जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम सी.मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में। 2008(6) जेटी 542** (अनुलग्नक आर-1) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार फैसला सुनाया है (पैरा 12): -

"धारा 4 के तहत अधिसूचना के मद्देनजर जब भूमि को साफ़ करने या तोड़ने की अनुमति नहीं है तो यह स्वयं नए निर्माण पर रोक है क्योंकि निर्माण केवल तभी हो

सकता है जब क्षेत्र/भूमि को साफ़ और तोड़ा जा रहा हो। यह निषेध है 1992 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निहित है। खंड (जी) पर आवेदकों द्वारा रखी गई निर्भरता स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि खंड (जी) के भीतर अनुमत गतिविधि ऐसा क्षेत्र की सीमा या आसपास के शहर और गांवों के निवासियों के पक्ष में है। स्वीकृत मामला यह है कि यहां आवेदकों ने प्रश्नाधीन क्षेत्र में भूखंड विकसित किए हैं और इसे ऐसे व्यक्तियों को बेच दिया है जो ऐसे निर्दिष्ट रहने वाले क्षेत्र के भीतर कस्बों और गांवों के निवासी नहीं हैं, लेकिन पूरे देश या बाहर से कोई भी हो सकता है। और इसलिए धारा 4 में खंड (जी) का कोई अनुप्रयोग नहीं है। एक भूखंड को विकसित करने और फिर उसमें निर्माण करने का मतलब किसी क्षेत्र या भूमि को साफ़ करना या तोड़ना होगा।

(26) प्रदूषण बोर्ड का निश्चित और स्पष्ट मामला यह है कि वन संरक्षक ने दक्षिण वृत्त, गुड़गांव के सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में निहित निर्देशों को लागू करने के लिए सूचित और निर्देशित किया है। पत्र एवं भावना, दिनांक 23.5.2008 के पत्र के माध्यम से (अनुलग्नक आर-2)।

(27) 1986 के अधिनियम के संकेतित प्रावधानों और प्रासंगिक नियमों के संयुक्त और सार्थक पढ़ने से पता चलेगा कि जो कोई भी इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या इसके तहत जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के किसी भी प्रावधान का पालन करने या उल्लंघन करने में विफल रहता है, वह इस धारा के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा। दिनांक 7-5-1992 की अधिसूचना (अनुबंध पी 5) के अनुसार 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का अनुपूरण करते हुए, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरीके से प्रक्रियाओं और संचालन को कर रहा है और सभी आरक्षित वनों, संरक्षित वनों या किसी अन्य क्षेत्र में इस अधिसूचना की तारीख को राज्य सरकार द्वारा रखे गए भूमि अभिलेखों में वन के रूप में दर्शाया गया है। (ख) यदि हां, तो वह इस अधिनियम और अधिसूचना (अनुबंध पी-5) के प्रावधानों के तहत दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

(28) मतलब, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने न केवल संवैधानिक जनादेश और विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया है, बल्कि 1986 के अधिनियम और अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है: वे इसका अनुपालन करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और यहां ऊपर चर्चा किए गए तरीके से, अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) के प्रारंभ होने के बाद उसके तहत जारी किए गए उक्त अधिनियम के प्रासंगिक नियमों, अधिसूचना, आदेशों और निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। इसलिए, उनकी कार्रवाई पूरी तरह से 1986 के अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध के क्षेत्र और दायरे में आती है।



(29) प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के विद्वान वकील की दलीलों से पता चलता है कि यह रिकॉर्ड पर साबित हुआ है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्तों (डेवलपर्स) ने पहले ही विवादित भूमि की प्रकृति को गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) से गैरमुमकिन फार्म हाउस में बदल दिया है। स्वीकृतियों के अनुसार (अनुलग्नक पी-2, पी-3, पी-9, पी-10 और पी-12ए), आवेदनों के अनुसरण में (अनुलग्नक पी-1, पी-4, पी-7 और पी-8) और इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था (अनुलग्नक पी-6/टी कोली और पी-21), दिनांक 7.5.1992 (अनुलग्नक पी-5) की अधिसूचना के शुरू होने से बहुत पहले और चूंकि शिकायत (अनुलग्नक पी-20) और अन्य शिकायतों में बताए गए अपराधों के सभी आवश्यक तत्वों का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध, न केवल योग्यता से रहित हैं, बल्कि गलत भी हैं और एक से अधिक कारणों से निरस्त किए जाने योग्य हैं।

(30) प्रथम दृष्टया, यह विवाद का विषय नहीं है कि चूंकि पीएलपीए और वन अधिनियम के प्रावधान लागू हैं और विवाद में भूमि गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) के रूप में दर्ज की गई थी, इसलिए, 1986 के अधिनियम के प्रावधान और अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) वर्तमान मामलों में प्रासंगिक समय पर पूरी तरह से लागू थी। दूसरे, आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी-20) के पैरा 10 से 18 में सीधे आरोप हैं कि याचिकाकर्ताओं-आरोपी (डेवलपर्स) ने विभिन्न अन्य व्यक्तियों को आवंटित क्षेत्र को विकसित करने के बाद पर्वत (पहाड़) की प्रकृति को बदल दिया है। यह अधिसूचना जारी होने के बाद किया गया (अनुलग्नक पी-5)। उन्हें कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी-15 और पी-18) जारी किए गए थे। समिति का गठन किया गया। केवल यह तथ्य कि समिति के गठन में कुछ अनियमितता है, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएगा, जैसा कि उनकी ओर से इसके विपरीत आग्रह किया गया था। समिति ने मामले की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डेवलपर्स ने विवादित भूमि की प्रकृति को बदल दिया है और 630 फार्म हाउसों के समूह के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया है, जिनमें से 108 फार्म हाउसों का निर्माण और आवंटन प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है। अधिसूचना शुरू होने के बाद सड़कें, पानी की आपूर्ति, बिजली, बर्म, कंटीले तार, बाड़ और अलग गेट आदि बिछाकर अरावली अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5)। यहां तक कि इस अधिसूचना के जारी होने के बाद आवंटियों द्वारा बिजली कनेक्शन भी प्राप्त कर लिये गये।

(31) इसलिए, संकेतित अपराधों के सभी आवश्यक तत्व पूर्ण हैं। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेश बजाज बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली और अन्य** (1993 (3) एस सी सी 259) के मामले में कहा है कि "यह आवश्यक नहीं है कि एक शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के मुख्य भाग में अपराध के सभी अवयवों को

शब्दश प्रस्तुत करना चाहिए। न ही यह जरूरी है कि शिकायतकर्ता इतने शब्दों में कहे कि आरोपी की मंशा बेईमानी या धोखाधड़ी की थी। अपराध के विभिन्न घटकों में परिभाषा को विभाजित करने की सूक्ष्म जांच करने के लिए, कि क्या शिकायत में सभी तत्वों को सटीक रूप से वर्णित किया गया है, इस स्तर पर इसकी आवश्यकता नहीं है।"

(32) सबसे ऊपर, 1986 के अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि "कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय उसमें उल्लिखित सक्षम व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के।" सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के तहत "शिकायत" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट पर मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी आरोप, कि कोई व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात ने अपराध किया है।

(33) मतलब, शिकायत (अनुलग्नक पी-20) और अन्य शिकायतों में याचिकाकर्ता-अभियुक्तों पर सीधे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) के शुरु होने के बाद बताए गए अपराध किए हैं। एकमात्र तथ्य यह है कि डेवलपर्स ने उक्त अधिसूचना जारी होने से पहले, विभिन्न अधिनियमों के तहत निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अन्य अप्रासंगिक अधिकारियों को सूचित किया है, जो कि विवादित शिकायतों और समन आदेशों को रद्द करने के लिए बिल्कुल भी ठोस आधार नहीं है, क्योंकि वे सक्षम प्राधिकारी से कोई अपेक्षित पूर्व अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त नहीं की है और 1986 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया है।

(34) इसी प्रकार, विद्वान वकील का अगला कमजोर तर्क कि चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में विचाराधीन भूमि को गैरमुमकिन फार्म हाउस के रूप में वर्णित किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने कोई अपराध नहीं किया, फिर से योग्यता का अभाव है। फिर, यह भी विवाद का विषय नहीं है कि रायसीना गांव में स्थित विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शुरु से ही अरावली गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) के रूप में दर्शायी गयी थी। यह स्वीकार किया गया है कि डेवलपर्स ने जमीन का प्रकार गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) से गैरमुमकिन फार्म हाउस में बदल दिया है। यदि किसी पटवारी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के खसरा गिरदावरी (अनुलग्नक पी-6/टी कॉली) में कुछ विचार-विमर्श के लिए और उसे सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से छिटपुट प्रविष्टियाँ की थीं, जो कि अवैध थीं और बिना किसी अधिकार के और आगे के कॉलम में की गई थीं। जमाबंदी (अनुलग्नक पी-6/टीकोली) और अक्ष सिज़रा (अनुलग्नक पी-21), तो, ऐसी आवारा और अवैध प्रविष्टियाँ गैर-स्थायी, शून्य हैं और

यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि मुकदमेबाजी में भूमि गैरमुमकिन फैन घरों की थी। ऐसी प्रविष्टियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और विवाद में भूमि का प्रकार (गैन्नुमकिन पर्वत (पहाड़)) इस प्रासंगिक संबंध में सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए समान रहेगा।

(35) जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, जैसे ही, यह गलती देखी गई, कलेक्टर ने अपने पत्र दिनांक 23.2.2006 (अनुलग्नक आर-6) के माध्यम से सभी सर्कल राजस्व अधिकारियों को अरावली पर्वत की गिरदावरी को घटनास्थल के अनुसार गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) सही करने का निर्देश दिया। इसलिए, तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में एक पटवारी द्वारा की गई केवल छिटपुट और अवैध प्रविष्टियों को संभवतः यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन भूमि गैरमुमकिन पर्वत (पहाड़) नहीं थी। ऐसी शून्य और गैर-स्थायी प्रविष्टियों पर कोई अंतर्निहित निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। इस प्रकार, 'ओखला पक्षी अभयारण्य के पास नोएडा में पार्क का निर्माण' बनाम आनंद आर्य और अन्य तथा टी.एन.गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में टिपणियों पर याचिकाकर्ता-अभियुक्तों की ओर से भरोसा किया गया, परंतु वर्तमान मामलों के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।

(36) इसी तरह, इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो सकता है कि 1963 और 1975 के अधिनियम अपने संबंधित डोमेन/क्षेत्रों में पूरी तरह से अलग-अलग तरीके से संचालित होते हैं। इन अधिनियमों का उद्देश्य, लक्ष्य, वस्तु, दायरा, क्षेत्राधिकार, क्षेत्र, संचालन का तरीका, दायरा, कार्रवाई और उपचार पूरी तरह से अलग हैं और 1986 के अधिनियम और अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) के प्रावधानों से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, विभिन्न अधिनियमों के तहत निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कार्यकारी अभियंता, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, हरियाणा आदि द्वारा लिखे गए पत्र (अनुलग्नक पी-2, पी-3, पी-9, पी-10 और पी-12ए) और अतिरिक्त निदेशक द्वारा किया गया कथित स्पष्टीकरण केंद्र सरकार के पत्र दिनांक 1.11.2006 (अनुलग्नक पी-17) (2007 के सीआरएम संख्या एम-51514 में) और (2010 के सीआरएम संख्या एम-880 में) और पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट के तहत (अप्रासंगिक प्राधिकारी), वास्तव में, 1986 के अधिनियम और अधिसूचना (अनुलग्नक पी-5) के तहत याचिकाकर्ता-अभियुक्तों द्वारा किए गए आपराधिक दायित्व/अपराधों को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं, खासकर जब यह अभी तक स्पष्ट/साबित नहीं हुआ है कि वे थे इस संबंध में ऐसा स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम/प्राधिकृत है।

(37) जैसा कि स्पष्ट है कि **हर्षेंद्र कुमार डी. बनाम रेबातिलता कोले और अन्य (2011 (3) एस सी सी 351)** के मामले में, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों की ओर से

भरोसा किया गया था, शिकायतकर्ता (वहां) रिफा हेल्थकेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ जैव-सिरेमिक उत्पादों की बिक्री के लिए व्यापारिक संबंध में रुचि रखते थे। शिकायतकर्ताओं ने दिए गए आदेशों के लिए कंपनी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जारी किए। कंपनी ने शिकायतकर्ताओं द्वारा ऑर्डर किए गए उत्पादों की डिलीवरी नहीं की और तदनुसार उन्होंने कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे। तदनुसार, कंपनी के लिए और उसकी ओर से, मौजूदा देनदारी के निर्वहन में, एक अकाउंट पेयी चेक जारी किया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता के बैंकर द्वारा चेक को "अपर्याप्त निधि" के समर्थन के साथ प्रस्तुत करने पर वापस ले लिया गया था। शिकायतकर्ता ने फिर कानूनी नोटिस भेजा आरोपी व्यक्तियों को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन नोटिस की सेवा के बावजूद, कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद, उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 और 141 के तहत शिकायत दर्ज की।

38. मुख्य तर्क यह था कि अपीलकर्ता को 27.8.2003 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2.3.2004 को निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे निदेशक मंडल ने उसी दिन तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। उनके इस्तीफे का तथ्य कंपनी द्वारा 4.3.2004 को कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए फॉर्म 32 में भी दर्ज किया गया था। उनके इस्तीफे के काफी बाद शिकायतकर्ताओं को कंपनी की ओर से विवादित चेक जारी किए गए थे। इसलिए, विशिष्ट तथ्यों और उस मामले की विशेष परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि "अब यह काफी हद तक तय हो चुका है कि संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार या धारा 397 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ऐसे मामले में जहां शिकायत को रद्द करने की मांग की गई है, उच्च न्यायालय के लिए आरोपी के बचाव पर विचार करना या आरोपों की योग्यता के संबंध में जांच शुरू करना उचित नहीं है। हालाँकि, एक उपयुक्त मामले में, यदि अभियुक्त द्वारा रखे गए दस्तावेजों के आधार पर, जो संदेह या संदेह से परे हैं, उसके खिलाफ आरोप टिक नहीं सकते हैं, तो उन दस्तावेजों पर आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है।

(39) संभवतः, उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन, मेरे लिए, यह वर्तमान विवाद में आरोपी याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आएगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने ऐसा कोई सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो और 1986 के अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त हो। जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, पत्र, जो कथित तौर पर अन्य अप्रासंगिक अधिकारियों द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें अन्यथा कानूनी सबूत की आवश्यकता होती है, इस प्रारंभिक चरण में आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए पार्टियों के बीच तत्काल विवाद को तय करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं। याचिकाकर्ता-अभियुक्तों द्वारा रिकॉर्ड पर

लाए गए सभी दस्तावेज़ इस प्रासंगिक संबंध में 1986 के अधिनियम के तहत पक्षों के बीच तत्काल विवाद के लिए अलग/विदेशी हैं।

(40) क्या प्रदूषण बोर्ड ने याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की हैं, क्या डेवलपर्स ने अधिसूचना के प्रकाशन के बाद गेन्नुमकिन पर्वत (पहाड़) को ध्वस्त कर दिया है और इसे गैर मुमकिन फार्म हाउस में बदल दिया है (अनुलग्नक पी5), क्या 1963 और 1975 के अधिनियमों, वन अधिनियम या अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण) के तहत अधिकारियों ने वास्तव में किसी प्राधिकरण या अन्यथा के तहत स्पष्टीकरण दिया है, अधिनियम के तहत अपराध के कमीशन पर अन्य अधिनियमों के तहत ऐसी मंजूरी का क्या प्रभाव होगा 1986 की, क्या विवादित क्षेत्र 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, अधिसूचना की अन्य सभी शर्तों (अनुलग्नक पी 5) का उल्लंघन किया गया है या नहीं और साक्ष्य की सराहना से संबंधित अन्य सभी तर्क (अब उनकी ओर से आग्रह करने की मांग की गई है), पक्षों के संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे के दौरान तय किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। यदि, इन दस्तावेजों और अन्य संबंधित तथ्यों की स्वीकार्यता, वैधता और वास्तविकता या अन्यथा, जिसके लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है, धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिकाओं की आड़ में इस न्यायालय द्वारा तय किया जाना है, तो इसकी पवित्रता मुकदमा महत्वहीन हो जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विचार किए गए मुकदमे की वैधानिक प्रक्रिया को रद्द करने जैसा होगा, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

(41) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम डॉ. भूपेंद्र कुमार मोदी और अन्य के मामले में फैसला सुनाया है कि "संहिता की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय आम तौर पर यह जांच नहीं कर सकता है कि प्रश्न में साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या इसकी उचित सराहना पर आरोप बरकरार नहीं रहेगा या नहीं। स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसा करना ट्रायल जज का कार्य है। उच्च न्यायालय को यह देखने में सावधानी बरतनी चाहिए कि अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर आधारित हो। वैध अभियोजन को दबाने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(42) इस गंभीर स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ताओं (अनुवर्ती प्रतिशोध) (अनुसूची बी में उल्लिखित मामलों में) के लिए विद्वान वकील ने एक और कॉस्मेटिक सबमिशन उठाया कि मामले में, यह साबित हो गया है कि डेवलपर्स ने प्रावधानों का उल्लंघन किया है और संकेतित अपराध किए हैं, फिर भी, बाद के विक्रेताओं/हस्तांतरणकर्ताओं पर उस संबंध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि वे वास्तविक खरीदार हैं। शुरुआत में और पहली बार में, तर्क कुछ हद तक आकर्षक लग रहा था, लेकिन जब कानूनी रूप से और गहराई से इसका विश्लेषण किया गया, तो यह देखने में मदद नहीं मिली कि वही तर्क बिना योग्यता के भी थे।

(43) जैसा कि स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 2 (एन) "अपराध" शब्द को इस अर्थ में परिभाषित करती है कि किसी भी कार्य या चूक को उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है। किया गया अपराध/कार्य अवैध चूक (आईपीसी की धारा 32 के तहत) तक भी फैला हुआ है। चूक और अपराध के कृत्य को आईपीसी की धारा 33 और 40 के तहत परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 35 में कहा गया है कि "जब कोई कार्य, जो केवल आपराधिक ज्ञान या इरादे से किया गया है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह के ज्ञान या इरादे से कार्य में शामिल होता है, उत्तरदायी है कार्य के लिए उसी तरह से जैसे कि कार्य अकेले उसके द्वारा उस ज्ञान या इरादे से किया गया हो।" आईपीसी की धारा 36 से 38 के अनुसार, जहां भी किसी कार्य या चूक द्वारा कोई निश्चित प्रभाव कारित करना, या उस प्रभाव को कारित करने का प्रयास करना अपराध है, तो यह समझा जाना चाहिए कि उस प्रभाव का कारण आंशिक रूप से है। एक कार्य और आंशिक रूप से एक चूक एक ही अपराध है। जब कोई अपराध कई कृत्यों के माध्यम से किया जाता है, तो जो कोई जानबूझकर उन कृत्यों में से किसी एक को करके, अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उस अपराध के कमीशन में सहयोग करता है, वह अपराध करता है और वे अलग-अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं उस अधिनियम के माध्यम से.

(44) वैधानिक/कानूनी स्थिति होने के नाते, इन प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि जहां किसी विशेष ज्ञान या किसी विशेष इरादे का तत्व किसी अपराध की संरचना में प्रवेश करता है, तो सभी सह-अभियुक्त इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यह प्रावधान करता है कि जहां कई व्यक्ति किसी कार्य को करने में शामिल हैं, जो केवल आपराधिक जानकारी के साथ किया गया अपराध है और जो कोई भी इस तरह के अपराध के कमीशन में सहायता करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह के ज्ञान के साथ कार्य में शामिल होता है, उसी तरह से कार्य के लिए उत्तरदायी होता है जैसे कि कार्य उस ज्ञान के साथ अकेले उसके द्वारा किया गया हो। उस स्थिति में, आपराधिक कानून केवल अपराध के परिणाम से संबंधित है, न कि उन साधनों से जिनके द्वारा इसे हासिल किया गया है और जो कोई भी ऐसे अपराध के संचयी परिणाम में सहयोग करता है, वह इस प्रासंगिक संबंध में समान रूप से उत्तरदायी है।

(45) जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, बाद के विक्रेताओं ने अधिसूचना (अनुलग्नक पी5) के शुरू होने के बाद, डेवलपर्स से अपराध प्रवण फैन हाउस खरीदे हैं। इतना ही नहीं, खरीद के बाद भी उन्होंने 1986 के अधिनियम और अरावली अधिसूचना के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया और उल्लंघन किया। उन्हें आज तक संबंधित अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित पेनिशन भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए सभी अधिकार और देनदारियां भी उन्हें हस्तांतरित कर दी गईं। बाद के विक्रेताओं/हस्तांतरणियों द्वारा किए गए कार्य डेवलपर्स द्वारा किए गए अपराधों के कृत्यों और लेनदेन के समान विवरण के साथ इतने मिश्रित और मिश्रित हैं और चूंकि इन याचिकाकर्ताओं के कृत्य, जो अपराधों में परिणत हुए, अभी

भी जारी हैं, इसलिए उनके मामलों को संभवतः डेवलपर्स द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वे किसी भी तरह से आपराधिक दायित्व से बच नहीं सकते हैं और कानूनी रूप से दंडित होने के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि आईपीसी की धारा 35 से 38 के तहत भी माना गया है।

(46) सभी याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के विद्वान वकील की आखिरी मशहूर दलील कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन करते समय अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, फिर से तर्कसंगत नहीं है। सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी22) के अवलोकन से पता चलेगा कि शिकायत का संज्ञान लेते समय ट्रायल कोर्ट ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/साक्ष्यों पर विधिवत विचार किया है और फिर इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया, आरोपियों ने अपराध किया है और उन्हें 1986 के अधिनियम की धारा 15 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया। सम्मन आदेश धारा 202 से 204 सीआरपीसी के साथ गहराई से मेल खाता है और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मेसर्स मोहन मीकिन्स लिमिटेड और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का अनुपात, जिसमें, इसे निम्नानुसार (पैरा 6) सुनाया गया था: -

“6. सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में यह बताया गया है कि विधायिका ने कुछ स्थितियों में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता पर बल दिया है जैसे किसी शिकायत को प्रक्रिया जारी किए बिना खारिज करना। कामी भद्र शाह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2000 (1) आरसीआर (सीआरएल) 407/2000(1) एससीसी 722 के तहत समन जारी करते समय विस्तृत आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट पर ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं लगाई गई है।

इस संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद उपयुक्त होगा:

“यदि कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने के कारणों को दर्शाते हुए एक आदेश लिखना चाहिए, तो पहले से ही बोझ से दबी ट्रायल कोर्ट पर इस तरह के अतिरिक्त काम का बोझ क्यों डाला जाना चाहिए? समय आ गया है कि अदालती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सभी संभव उपाय अपनाए जाएं और सभी टालने योग्य देरी को रोकने के लिए उपाय किए जाएं। यदि एक मजिस्ट्रेट को विभिन्न चरणों में विस्तृत आदेश लिखना है, तो ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही की धीमी गति से प्रगति और धीमी हो जाएगी। हमें मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों के कई पन्नों के अंतरिम आदेश मिल रहे हैं। यदि उनके समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए इतना विस्तृत आदेश पारित किया गया है तो हम इसकी सराहना कर सकते हैं। लेकिन अन्य चरणों में विस्तृत आदेश लिखना काफी अनावश्यक है, जैसे प्रक्रिया जारी करना, आरोपी को हिरासत में भेजना, आरोप तय करना, मुकदमे के अगले चरण में भेजना। (जोर दिया गया)

(47) इतना ही नहीं, धारा 202 से 204 सीआरपीसी में कहा गया है कि समन के चरण में, मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" है या नहीं। मजिस्ट्रेट को साक्ष्यों को उतनी सावधानी से नहीं तौलना चाहिए जितना उसे मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान करना होता है। सबूतों की जांच में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाए जाने वाले मानक वही नहीं हैं जिन्हें आरोप तय करने के चरण में ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह मामला अब कोई ठोस मामला नहीं रह गया है और अब अच्छी तरह से सुलझ चुका है।

(48) शिवजी सिंह बनाम नागेंद्र तिवारी और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न तय किया गया था, जिसमें मोहिंदर सिंह बनाम गुलवंत सिंह के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को दोहराया गया और निम्नानुसार देखा गया (पैरा 11 और 12): -

11. धारा 202 के तहत जांच का दायरा केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने तक ही सीमित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी होनी चाहिए या नहीं या शिकायत खारिज कर दी जानी चाहिए या नहीं संहिता की धारा 203 को इस आधार पर क्रमबद्ध करके कि शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों, यदि कोई हो, के आधार पर आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। उस स्तर पर पूछताछ एक फुल ड्रेस ट्रायल की तरह नहीं होती है जो केवल हो सकती है संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी होने के बाद प्रस्तावित आरोपी को उक्त आरोपी व्यक्ति के अपराध या अन्यथा का फैसला करने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का जवाब देने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, यह सवाल कि क्या सबूत दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता है, न कि संहिता की धारा 202 के तहत जांच के चरण में। दूसरे शब्दों में कहें तो, संहिता की धारा 202 के तहत जांच के दौरान, जांच अधिकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है ताकि प्रस्तावित आरोपी को दोषी ठहराया जा सके। एक नियमित परीक्षण और ऐसी जांच के दौरान किसी विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती है। " (जोर दिया गया)

12. धारा 202(2) के परंतुक में 'करेगा' शब्द का उपयोग प्रथम दृष्टया उसमें निहित प्रावधान के अनिवार्य चरित्र का संकेत है, लेकिन अध्याय XV में निहित अन्य प्रावधानों के साथ-साथ इसका एक करीबी और महत्वपूर्ण विश्लेषण और धारा 226 और 227 और धारा 465 स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत किसी या कुछ गवाहों की शपथ पर परीक्षा न करना, अपने आप में संबंधित मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के आदेश पारित करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और प्रक्रिया का मुद्दा, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो कि प्रथम दृष्टया ऐसा करने का मामला बनता है।



यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 202(2) के परंतुक में आने वाला शब्द 'सभी' उसके शब्द से योग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि शिकायतकर्ता सभी की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है (वह शिकायत में नामित गवाहों या मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के जवाब में जिनके नाम का खुलासा किया गया है)। दूसरे शब्दों में, केवल उन गवाहों की जांच की जानी आवश्यक है जिन्हें शिकायतकर्ता प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए मटेरिया मानता है। शिकायतकर्ता की पसंद होने के कारण, वह अन्य गवाहों से पूछताछ न करने का विकल्प चुन सकता है। इस तरह की गैर-परीक्षा के परिणाम पर विचार मुकदमे में किया जाना चाहिए, न कि जारी करने की प्रक्रिया के चरण में, जब मजिस्ट्रेट को मामले के गुण या दोषों पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, कहने का तात्पर्य यह है कि शिकायत में शामिल आरोप, यदि साबित हो गए, तो अंततः आरोपी की दोषसिद्धि में परिणत होंगे या नहीं। उसे केवल यह देखना है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। ” इसलिए, इस प्रासंगिक संदर्भ में, आक्षेपित समन आदेश (अनुलग्नक पी22) में कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं बताई जा सकती है, जैसा कि (इसके विपरीत) सभी याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों की ओर से आग्रह किया गया है।

(49) इसलिए, यदि संवैधानिक आदेश, निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, 1986 के अधिनियम, अधिसूचना (अनुलग्नक पी5) के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है और रिकॉर्ड से निकले तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, को एक साथ रखा गया है, तो, मेरे लिए, निष्कर्ष अपरिहार्य और अनूठा है कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड पर साबित हुआ है कि सभी याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने अपराध किया है संकेतित अपराध. यदि याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने पर्यावरणीय माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उल्लंघनों को नहीं रोका है और आपराधिक अभियोजन इस प्रारंभिक चरण में ही रद्द कर दिया जाता है, तो यह आम तौर पर बड़े पैमाने पर जनता के साथ और विशेष रूप से शिकायतकर्ता-प्रदूषण बोर्ड के मामले में अन्याय पैदा करेगा और उसे कायम रखेगा। चौधरी भजन लाल, सोम मित्तल और जेफ़री जे.डिरमेयर के मामलों (सुप्रा) में प्रारंभिक चरण में आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए निर्धारित बेंच मार्क और आवश्यक सामग्री का इन मामलों में पूरी तरह से अभाव है। इस प्रकार, सभी याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क "स्ट्रिक्टो सेंसु" के योग्य हैं और वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें निरस्त किया जाता है, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का अनुपात "आवश्यक परिवर्तन" वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू होता है और मौजूदा समस्या का पूर्ण उत्तर है।

(50) विचार करने योग्य कोई अन्य कानूनी बिंदु, पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा न तो आग्रह किया गया है और न ही दबाया गया है।

(51) उपरोक्त कारणों के आलोक में और गुण-दोष पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि यह सभी शिकायतों की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, तत्काल याचिकाएं विचार करने लायक हैं। और इसके द्वारा मामलों की प्राप्त परिस्थितियों में इस तरह खारिज कर दिया जाता है।

(52) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य शिकायतों के परीक्षण के दौरान यहां ऊपर जो कुछ भी देखा गया, वह किसी भी तरीके से, गुण-दोष के आधार पर परिलक्षित नहीं होगा। क्योंकि इसे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिकाओं पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया है। चूंकि मामला बहुत पुराना है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार सभी शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही सहित सभी प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की प्रतियां अनुपालन के लिए तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजे।

(53) साथ ही, पक्षों को अपने वकील के माध्यम से आगे की कार्यवाही के लिए 4.6.2012 को विशेष/ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sagar Sharma

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh

